तीसरा अध्याय

3. लेन देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस अध्याय में राज्य शासन की कम्पनियों के लेन देनों की नमूना जाँच में पाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को सम्मिलित किया गया है:

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड

3.1 विदेशी मदिरा के क्रय मूल्य का अधिक निर्धारण करने के फलस्वरूप विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्त्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया

कम्पनी ने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में विदेशी मदिरा के क्रय मूल्य का अंतिमीकरण निविदा के नियम एवं शर्तों के साथ ही साथ संचालक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उच्चतर दर पर निर्धारण किया, जिसके फलस्वरूप विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 112.87 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में विदेशी मदिरा[1] के क्रय, भण्डारण एवं विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के थोक अभिकर्त्ता के रूप में पूर्णरूप से स्वतंत्र सरकारी कम्पनी के रूप में हुई (नवंबर 2001)। कम्पनी आपूर्तिकर्त्ताओं के पंजीकरण के साथ–साथ दरों के अंतिमीकरण अर्थात् कम्पनी को प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा की दर अर्थात् क्रय मूल्य[2] से निर्धारण हेतु प्रतिवर्ष खुली निविदा आमंत्रित करता है। प्राप्त बोलियों के आधार पर क्रय मूल्य का अनुमोदन कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। कम्पनी पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से विविध ब्राण्ड की विदेशी मदिराओं का क्रय करने के बाद अपने भण्डारगृहों में भण्डारित करती है एवं क्रय मूल्य में 10 प्रतिशत का अपना मार्जिन एवं अन्य लागू कर व शुल्क जोड़कर विदेशी मदिरा को ऐसे फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करती है, जिनके पास राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का परमिट होता है। फुटकर मूल्य (न्यूनतम विक्रय मूल्य एवं अधिकतम विक्रय मूल्य), जिस पर विदेशी मदिरा जनता को बेची जाती है, का निर्धारण राज्य आबकारी विभाग द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2014–15 के लिए कम्पनी ने 35 आपूर्तिकर्त्ताओं के 462 ब्राण्ड/लेबल का अंतिमीकरण किया (मार्च 2014)। इसी प्रकार, वर्ष 2015–16 के लिए कम्पनी ने 39 आपूर्तिकर्त्ताओं के 512 ब्राण्ड/लेबल का अंतिमीकरण किया (मार्च 2015)।

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के क्रय मूल्य के अंतिमीकरण संबंधी अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2016) में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

अ) विदेशी मदिरा के आसवनी मूल्य प्राप्त किये बिना क्रय मूल्य का अंतिमीकरण किया गया

दर प्रस्ताव की नियम एवं शर्तों के उपवाक्य 5(अ) के अनुसार, आपूर्तिकर्त्ताओं को निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रपत्र ''अनुलग्नक अ'' में उन उत्पादों की आसवनी मूल्य[3] (ईडीपी) देना था, जिसे वे राज्य में बेचना चाहते हैं। यद्यपि किसी भी आपूर्तिकर्त्ता

---

1 भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, विदेशों में निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर

2 मूल्य (गंतव्य तक बिना भाड़े के) जिस पर कंपनी अपने गोदामों में आपूर्तिकर्त्ताओं से विदेशी मदिरा प्राप्त करती है।

3 आसवनी में निर्मित विदेशी मदिरा की पैकिंग, माल भाड़ा, हैण्डलिंग, बीमा प्रभार आदि को छोड़कर प्रत्यक्ष लागत।

ने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 ईडीपी नहीं दिया, क्योंकि ''अनुलग्नक अ'' में ईडीपी को दर्शाने वाला कॉलम नहीं था, जबकि 2012–13 तक के प्रपत्र में निर्दिष्ट ईडीपी को दर्शाने वाला ''अनुलग्नक अ'' था। ईडीपी मूल्य प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि इससे कम्पनी को आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा क्रय मूल्य की गणना के लिए ईडीपी के बाद जोड़े गए अप्रत्यक्ष प्रभार की जानकारी लेने में और क्रय मूल्य की तर्कसंगतता परखने में सहायता मिलती है। ईडीपी के बिना लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि कम्पनी ने आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तावित दर की तर्कसंगतता कैसे निर्धारित की और पाया कि क्रय मूल्य उच्चतर दर से अंतिमीकृत किया, जैसा कि आगामी पैराग्राफ में वर्णित है:

शासन ने कहा (दिसंबर 2016) कि निविदा दस्तावेज के 'अनुलग्नक अ'' में ईडीपी का कॉलम त्रुटिवश छूट गया। शासन ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य की निविदाओं में कम्पनी 'अनुलग्नक अ'' में ईडीपी के कॉलम को जोड़कर त्रुटि को सुधार लेगी।

ब) दर की तर्कसंगतता का निर्धारण किए बिना क्रय मूल्य का उच्चतर दर से निर्धारण करने के कारण आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 112.87 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया

आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तावित दरों की तर्कसंगतता के निर्धारण के लिए दर प्रस्ताव की नियम एवं शर्तों का उपवाक्य 5 (स) यह उपबंधित करता है कि आपूर्तिकर्त्ताओं को उनके उत्पाद का क्रय मूल्य प्रचलित बाजार दर को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्द्धी आधार पर उद्धरण करना चाहिए। आपूर्तिकर्त्ता को अपने उत्पादों का ईडीपी एवं दरों का भी उल्लेख करना था, जो कि उन्होंने अन्य निकटवर्ती राज्यों में उद्धरण किया था। किसी लेबल के लिए उद्धरित की गई दर आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा पड़ोसी राज्यों यथा महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा एवं आंध्रप्रदेश में उद्धरित की गई दर को ध्यान में रखते हुए उचित होना चाहिए। इसके साथ ही प्रतिस्पर्द्धी एवं उचित दर की प्राप्ति के लिए उपवाक्य 9 कम्पनी को आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ वार्तालाप करने की शक्ति प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–15 के लिए किसी भी आपूर्तिकत्ताओं ने ईडीपी एवं निकटवर्ती राज्यों की दर जमा नहीं की। क्रय मूल्य के अनुमोदन के समय संचालक मण्डल ने दर प्रस्ताव की शर्त 5 (स) का पालन करने लिए छः निकटवर्ती राज्यों से विदेशी मदिरा की दर प्राप्त कर तुलनात्मक विश्लेषण कर दर की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया (मार्च 2014)। इस प्रकार, कम्पनी ने निकटवर्ती राज्यों से दरें प्राप्त की एवं तुलनात्मक विवरण तैयार किया, जो यह दर्शाता था कि कई आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उद्धरित की गई दर निकटवर्ती राज्यों की तुलना में बहुत अधिक थी। 2014–15 के लिए अनुमोदित कुल 462 ब्राण्ड/लेबल में से आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उद्धरित 106 लेबल के क्रय मूल्य निकटवर्ती राज्यों की दरों से अधिक थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि कम्पनी को आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए उच्चतर दर उद्धरित करने की जानकारी थी, किंतु संचालक मण्डल के दिशानिर्देशानुसार एवं दर प्रस्ताव के उपवाक्य 9 के अनुसार कम्पनी ने क्रय मूल्य कम करने हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं से वार्ता हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार 106 लेबल के लिए उच्चतर क्रय मूल्य के निर्धारण के कारण वर्ष 2014–15 में आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 6.69 करोड़ के अनुचित लाभ के रूप में परिणामित हुआ, जैसा कि ***अनुलग्नक – 3.1*** में वर्णित है, इसके फलस्वरूप राज्य की आम जनता को उच्चतर दर में मदिरा के विक्रय के रूप में परिणामित हुआ।

इसी प्रकार 2015–16 के लिए भी किसी आपूर्तिकर्त्ता ने ईडीपी एवं निकटवर्ती राज्यों की दर जमा नहीं की थी। तथापि कम्पनी ने आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उद्धरित दरों की तर्कसंगतता का विश्लेषण किए बिना आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उद्धरित 512 ब्राण्ड/लेबल के क्रय मूल्यों का अनुमोदन कर दिया (मार्च 2015)। चूंकि प्रबंधन ने 2015–16 में भी तुलना के लिए निकटवर्ती राज्यों के क्रय मूल्यों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया था, किंतु इसका कोई उपयोग नहीं हुआ और दरों को कम करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। 2015–16 के लिए अनुमोदित कुल 512 ब्राण्ड/लेबल में से आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उद्धरित 275 लेबल के क्रय मूल्य निकटवर्ती राज्यों की दरों से अधिक थे, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्त्ताओं को 2015–16 में ₹ 106.18 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जैसा कि ***अनुलग्नक – 3.2*** में वर्णित है।

यदि कम्पनी 2014–15 में ही दर की तर्कसंगतता का निर्धारण कर लेती एवं क्रय मूल्य को कम करके निकटवर्ती राज्यों के बराबर लाने हेतु कार्यवाही करती तो इस अनियमितता को आगामी वर्ष अर्थात् 2015–16 में टाला जा सकता था। इस प्रकार 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान कम्पनी ने उच्चतर दर को स्वीकार करते हुए विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 112.87 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया।

कण्डिका पर चर्चा (दिसंबर 2016) के दौरान सचिव, वाणिज्य कर एवं पंजीयन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा कि सभी आपूर्तिकर्त्ताओं से ₹ 112.87 करोड़[4] की वसूली हेतु 24 नवंबर 2016 को कारण बताओं नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सचिव ने यह भी कहा कि इन आपूर्तिकर्त्ताओं के उत्तर का सत्यापन करने के बाद इनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

तथ्य यह रहा कि कम्पनी ने दरों को स्वीकार करने के पूर्व निविदा की नियम एवं शर्तों एवं संचालक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उद्धरित दरों की तर्कसंगतता का उचित स्तर पर विश्लेषण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 112.87 करोड़ को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड

3.2 आयकर का परिहार्य भुगतान

कम्पनी ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध ₹ 20000 से अधिक के व्यावसायिक व्यय नकद में तथा बिना टीडीएस काटे भुगतान किया, जिसके कारण ₹ 6.10 करोड़ का व्यावसायिक व्यय अमान्य हुआ परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 2.02 करोड़ का अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना पड़ा ।

आयकर अधिनियम, 1961 (आयकर अधिनियम) की धारा 40 क (3) के अनुसार जहाँ निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया संदाय या कुल संदाय जो बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक बैंक ड्राफ्ट से भिन्न रूप में किया जाता है,रूपये 20000[5] से अधिक हो जाता है, वहाँ ऐसे व्यय व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी ।

इसी प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 40 (क) (iक) के अनुसार किसी निवासी ठेकेदार को किया गया भुगतान, ब्याज, कमीशन, दलाली, किराया, अधिकार शुल्क,

---

4 2014–15: दो आपूर्तिकर्त्ताओं से ₹ 6.69 करोड़ एवं 2015–16: 19 आपूर्तिकर्त्ताओं से ₹ 106.18 करोड

5 माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर देने या पट्टे पर देने संबंधी भुगतान के प्रकरण में ₹ 35000

व्यावसायिक सेवाओं पर दिया शुल्क, व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करते समय ऐसे व्यय की कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी यदि भुगतान के समय स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की गई ।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2016) कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों की गंभीर अवहेलना करते हुए ₹ 20000 से अधिक के व्यावसायिक व्यय (वेतन एवं भत्ते, परिवहन व्यय, अनुरक्षण एवं संधारण, बोनस, गोदाम किराया, सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान) नकद में और व्यावसायिक व्ययों पर स्त्रोत पर आयकर की कटौती किये बिना भुगतान किया । कम्पनी के कर लेखापरीक्षक द्वारा नियमित रूप से इस अनियमितता को चिन्हित किया जाता रहा है और इसके बावजूद उप महाप्रबंधक (वित्त), जो कि कम्पनी के वित्त अनुभाग के प्रभारी थे, ने व्यावसायिक व्यय के भुगतान करते समय आयकर अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की।

इस प्रकार, ₹ 20000 से अधिक के व्यावसायिक व्यय का नकद में और स्त्रोत पर आयकर की कटौती किये बिना भुगतान करने के कारण वर्ष 2005–06 से 2012–13 तक कम्पनी की कुल आय की गणना करते समय ₹ 6.10 करोड़ के व्यावसायिक व्यय को कर लेखापरीक्षक द्वारा ही अमान्य कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को उक्त अमान्य व्यय पर ₹ 2.02 करोड़ का आयकर का भुगतान करना पड़ा, जो कि परिहार्य था, जैसा कि **तालिका – 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका – 3.1: अमान्य व्यय और आयकर का परिहार्य भुगतान

(राशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	₹ 20000 से अधिक के व्यावसायिक भुगतान नकद में करने के कारण आयकर अधिनियम की धारा 40क (3) के अंतर्गत अमान्य व्यय	भुगतान करते समय स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं करने के कारण आयकर अधिनियम की धारा 40 (क) (iक) के अंतर्गत अमान्य व्यय	आयकर की प्रभावी दर (%)	आयकर का परिहार्य भुगतान
1	2	3	4	5 (2+3) x स्तंभ 4
2005-06	101038	1562580	33.66	559974
2006-07	691411	1894957	33.66	870571
2007-08	353655	5643731	33.99	2038512
2008-09	54263	8176042	33.99	2797481
2009-10	1234552	2507356	33.99	1271875
2010-11	156778	11152832	33.22	3756770
2011-12	2013876	593384	32.45	845926
2012-13	2464689	22390666	32.45	8065563
योग	**7070262**	**53921548**		**20206670**
महायोग		**60991810**		

* वर्ष 2013–14 से 2015–16 का विवरण उपलब्ध नहीं है, चूंकि कम्पनी के लेखे अभी अंतिमीकृत होना शेष है और कर लेखापरीक्षा भी किया जाना शेष है।

लेखा परीक्षा ने यह भी पाया कि कर लेखापरीक्षक द्वारा अमान्य किये गये उक्त व्यय के संबंध में संचालक मण्डल की बैठक में चर्चा नहीं की गई ।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2016) कि कम्पनी लेखा परीक्षा द्वारा दिये गए सुझाव का भविष्य में सख्ती से पालन करेगी और इसका उल्लंघन करने वाले कर्मचाारी वसूली हेतु उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में सभी को आवश्यक निर्देश भी जारी (23 जुलाई 2016) किये जा चुके हैं।

लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा के समय (29 दिसंबर 2016) संयुक्त सचिव, कृषि विभाग ने कहा कि कण्डिका में दर्शाई गई अवधि में उप महाप्रबंधक (वित्त) मुख्य वित्त अधिकारी थे। यद्यपि उप महाप्रबंधक (वित्त) को इस अनियमितता के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसका मुख्य कारण यह था कि कम्पनी के लेखे बकाया थे और इसके कारण कम्पनी, किये गए भुगतान की प्रभावी तरीके से निगरानी नहीं कर सकी। संयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि सभी मैदानी कार्यालयों को आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गए हैं । उक्त प्रावधानों के पालन में विफलता की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों से वसूली की जाएगी।

तथ्य यह रहा कि कर लेखापरीक्षक द्वारा आपत्ति लिए जाने के बावजूद व्यावसायिक व्ययों के भुगतान करते समय आयकर अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालन नहीं करने के कारण कम्पनी को ₹ 2.02 करोड़ का अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना पड़ा, जिससे कम्पनी को ₹ 2.02 करोड़ की हानि हुई। साथ ही, लेखों के बकाया संबंधी शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समय पर लेखों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व भी वित्त अनुभाग का ही है।

3.3 आधिक्य धान बीज के विक्रय में हानि

आधिक्य धान बीज के विक्रय की सक्रिय विपणन रणनीति की कमी के कारण कम्पनी को ₹ 2.18 करोड़ की हानि हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), राज्य कृषि विभाग द्वारा सूचित माँग के अनुसार कृषकों को विभिन्न फसलों के सत्यापित बीज पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। यदि कम्पनी का सत्यापित बीज का घरेलू उत्पादन राज्य कृषि विभाग की माँग को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं होता, तब कम्पनी कमी की मात्रा को केंद्रीय/राज्य एजेंसी और पंजीकृत सहकारी समितियों से क्रय करती हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2016) से खुलासा हुआ कि खरीफ 2015 के लिए कम्पनी को राज्य कृषि विभाग से विभिन्न किस्म की कुल 6.34 लाख क्विंटल धान बीज की माँग (दिसंबर 2014) की गई, जिसके विरूद्ध कुल 6.90 लाख क्विंटल[6] धान बीज कम्पनी के पास उपलब्ध थी। कम्पनी ने 5.47 लाख क्विंटल बीज कृषकों को विक्रय किया एवं 0.32 लाख क्विंटल बीज अगले वर्ष के लिए पुर्नवैधीकरण करने के पश्चात् 1.11 लाख क्विंटल बीज अविक्रित आधिक्य के रूप में बच गया। आधिक्य स्कंध में से कम्पनी ने अब तक (फरवरी 2016) 76872 क्विंटल बीज ₹ 1140 प्रति क्विंटल के औसत मूल्य पर कुल ₹ 8.77 करोड़ में कृषि उपज मण्डी में खाद्यान्न के रूप में नीलाम किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी, धान बीज की मांग के विरूद्ध आधिक्य उपलब्धता के बारे में प्रारंभ से ही (मार्च 2015) भली भाँति परिचित थी, क्योंकि इसने राज्य कृषि विभाग की माँग के साथ ही साथ उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध बीज का

6 घरेलू उत्पादन – 665755 क्विंटल एवं बाहय एजेंसियों से क्रय – 24523 क्विंटल

विश्लेषण करते समय पाया कि कम्पनी के पास 53220 क्विंटल धान बीज की अधिकता होगी । यद्यपि, कम्पनी ने आधिक्य धान बीज को अन्य विपणन एजेंसी को विक्रय हेतु शीघ्र कार्यवाही नहीं की एवं कम्पनी द्वारा ऐसा प्रथम प्रयास केवल मई 2015 में किया गया, जब कम्पनी ने धान बीज के विक्रय हेतु अन्य बीज विपणन एजेंसी[7] को प्रस्ताव भेजा।

चूंकि इस समय तक सभी एजेंसियों ने अपनी बीज व्यवस्था कर ली थी, इसलिए कम्पनी, कोई भी मात्रा उनको बेच नहीं सका। कम्पनी ने बाद में 76872 क्विंटल आधिक्य धान बीज को ₹ 1140 प्रति क्विंटल के औसत दर पर नीलाम किया। यदि कम्पनी आधिक्य धान बीज को अन्य एजेंसियों को विक्रय करने के लिए मार्च 2015 में ही शीघ्र निर्णय ले लेती, जब ये एजेंसियाँ आमतौर पर खरीफ सत्र के लिए धान बीज की व्यवस्था[8] करती है, तो आधिक्य मात्रा ₹ 1550 प्रति क्विंटल[9] के न्यूनतम मूल्य पर विक्रय की जा सकती थी। इससे कम्पनी को 53220 क्विंटल आधिक्य मात्रा, जो कि मार्च 2015 से ही उपलब्ध थी एवं इसके विपणन के लिए समय पर कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, के विक्रय पर ₹ 410 प्रति क्विंटल की न्यूनतम दर[10] से कुल ₹ 2.18 करोड[11] की हानि के रूप में परिणामित हुआ।

इसके साथ ही कम्पनी ने अपनी संपूर्ण आधिक्य मात्रा को छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ (मार्कफेड), जो कि कृषकों से केंद्र सरकार की विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के तहत चावल वितरण हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय करती है, को विक्रय करने के लिए प्रयास नहीं किया। चूंकि प्रसंस्कृत धान बीज की गुणवत्ता सामान्य धान से कई गुना बेहतर होती है, इसलिए कम्पनी को आधिक्य धान बीज को मार्कफेड को विक्रय करने के लिए राज्य शासन के समक्ष मामला उठाना चाहिए था, जैसा कि निरस्त धान बीज के प्रकरण में राज्य शासन कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मार्कफेड को बेचने की अनुमति (26 मई 2015) देता है, ।

इस प्रकार आधिक्य धान बीज को खाद्यान्न के रूप में कृषि उपज मण्डी में ₹ 1450 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के विरूद्ध ₹ 1140 प्रति क्विंटल के न्यूनतम दर सें विक्रय करने का कम्पनी का निर्णय इसके हित में नहीं था। यदि आधिक्य मात्रा को मार्कफेड को बेचा जाता तो कम्पनी को नीलामी के माध्यम से प्राप्त राजस्व की तुलना में ₹ 310 प्रति क्विंटल (₹ 1450 – ₹ 1140) अधिक राजस्व की प्राप्ति होती।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि अन्य राज्यों में धान बीज की माँग नहीं थी, इसलिए अन्य एजेंसियों ने इसके क्रय करने में रूचि नहीं दिखाई। यद्यपि, लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा (दिसंबर 2016) के दौरान संयुक्त सचिव, कृषि विभाग ने कहा कि भविष्य में राज्य को मुख्य बीज निर्यातक राज्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से शासन ने

---

7 राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, आंध्रप्रदेश राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम

8 उदाहरणतः, कृषि निदेशालय, झारखण्ड शासन ने झारखण्ड में बीज वितरण कार्यक्रम के लिए 3.04 लाख क्विंटल धान बीज के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित (28 मार्च 2015) किया था। इसी प्रकार, राष्ट्रीय बीज निगम ने भी 550000 क्विंटल धान बीज के लिए निविदा आमंत्रित (अप्रैल 2015) किया था।

9 धान बीज की प्रति क्विंटल रियायति दर, जिस पर कंपनी कृषकों को विक्रय करती है।

10 कंपनी ने अभी तक 76872 क्विंटल आधिक्य धान बीज ₹ 1140 प्रति क्विंटल की दर से विक्रय किया है । बची हुई मात्रा समय के साथ गुणवत्ता में कमी के कारण प्रति क्विंटल वसूली के औसत मूल्य में कमी होगी और हानि में वृद्धि होगी। इस प्रकार ₹ 2.18 करोड़ की न्यूनतम हानि हुई।

11 53220 क्विंटल X ₹ 410 प्रति क्विंटल

कम्पनी को आधिक्य बीज को अन्य विपणन एजेंसियों को निर्यात सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

अन्य राज्यों में धान की माँग ना होने संबंधी शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने आधिक्य धान बीज के विक्रय का प्रस्ताव विलंब से मई 2015 में भेजा, जबकि मार्च एवं अप्रैल 2015 में धान बीज की अत्यधिक माँग थी। उदाहरणतः कृषि निदेशालय, झारखण्ड शासन एवं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ने इस अवधि में धान बीज के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की थी। यद्यपि कम्पनी ने आधिक्य धान बीज की मात्रा का निराकरण करने के लिए इन निविदाओं में शामिल होने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

आधिक्य धान बीज को मार्कफेड को विक्रय करने के संबंध में संयुक्त सचिव ने आधिक्य धान बीज को निरस्त बीज के समान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मार्कफेड को विक्रय किये जाने संबंधी लेखापरीक्षा के सुझाव की प्रशंसा की। संयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि इसे मार्कफेड को विक्रय करने से राज्य शासन की हानि में कमी आएगी और राज्य में जन वितरण प्रणाली के लिए उच्च गुणवत्ता का चावल उपलब्ध हो सकेगा। शासन ने कम्पनी को बीज टैग से संबंधित कृषकों को चिन्हित करने के पश्चात् आधिक्य धान बीज को मार्कफेड को विक्रय करने का प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्देश दिया।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

3.4 उच्चतर दर पर कार्यादेश देना

कम्पनी ने ₹ 44.40 करोड़ का सिविल कार्य प्रथम निविदा में प्राप्त दो बोलियों में से दर की उचित रूप से जांच किए बिना अत्यधिक उच्चतम दर पर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.19 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

भारत सरकार ने ''संशोधित औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना'' (एमआईआईयूएस) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) के उरला एवं सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन[12] योजना का अनुमोदन किया (मार्च/अगस्त 2015)। एमआईआईयूएस योजना की औद्योगिक क्षेत्रवार प्रगति की चर्चा आगामी कण्डिकाओं में की गई है।

अ. औद्योगिक क्षेत्र, उरला

कम्पनी ने एमआईआईयूएस योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, उरला में वर्तमान सड़क के चौड़ीकरण एवं उस पर सीमेंट कांक्रीट सड़क के निर्माण करने के साथ आर.सी.सी. नाली एवं स्ट्रीट लाईट के कार्य हेतु ₹ 24.89 करोड़ की कुल दर अनुसूची (दर अनुसूची 2015) पर आनलाईन निविदा आमंत्रित किया (6 नवंबर 2015) । उक्त निविदा के विरूद्ध आठ बोलियॉ प्राप्त हुई, जिसमें से केवल तीन बोलीदाता ही तकनीकी रूप से योग्य पाए गए। सभी तीन योग्य बोलीदाताओं की मूल्य बोली 31 दिसंबर 2015 को खोली गई और मेसर्स सेवा सिंह ओबेराय एण्ड कम्पनी की बोली सबसे कम यथा दर अनुसूची से 24.03 प्रतिशत कम पाई गई।

चूंकि प्राप्त निम्नतम दर अनुसूची दर से बहुत कम थी इसलिए निविदा समिति ने निविदा में प्राप्त मूल्य की व्यवहार्यता के लिए ठेकेदार द्वारा दिए गए मूल्य के औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात् निविदा के उपवाक्य 22 के अनुसार पाँच *प्रतिशत* अतिरिक्त निष्पादन गॉरंटी लेते हुए ठेकेदार को ठेका देने का निर्णय लिया

[12] वर्तमान सड़क, जल निकासी प्रणाली, जल आपूर्ति प्रणाली, अन्य सामान्य सुविधओं का उन्नयन

(5 जनवरी 2016)। इस प्रकार, मेसर्स सेवासिंह ओबेराय एण्ड कम्पनी को उसके द्वारा दिए गए दर अनुसूची से 24.03 *प्रतिशत* कम में कुल ₹ 18.91 करोड़ में कार्यादेश जारी किया गया (4 फरवरी 2016)। कार्यपूर्णता की तिथि अगस्त 2017 है और 31 मार्च 2016 को ठेकेदार ने ₹ 1.51 करोड़ का कार्य पूर्ण कर लिया है।

ब. औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी

इसी प्रकार, कम्पनी ने एमआईआईयूएस योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी में अधोसंरचना के उन्नयन यथा सड़क, जल निकासी प्रणाली एवं जल आपूर्ति कार्य हेतु ₹ 41.23 करोड़ की कुल दर अनुसूची (दर अनुसूची 2015), जिसका संशोधित मूल्य (5 दिसंबर 2015) ₹ 44.40 करोड़ था, के लिए ऑनलाईन निविदा आमंत्रित किया (3 नवंबर 2015)। उक्त निविदा के विरूद्ध निविदा देने की अंतिम तिथि (11 जनवरी 2016) तक सात बोलियॉं प्राप्त हुई। बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन (3 मार्च 2016) के पश्चात् पांच बोलियों को निविदा की अर्हता की शर्त को पूरी नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया गया एवं केवल दो बोलियॉं (मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर एवं ऐरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, छिंदवाड़ा) तकनीकी रूप से योग्य पाई गईं। दोनों योग्य बोलीदाताओं की मूल्य बोली 5 मार्च 2016 को खोली गई और मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड की बोली सबसे कम यथा दर अनुसूची से 12.36 प्रतिशत कम पाई गई।

चूंकि प्राप्त निम्नतम दर अनुसूची दर से कम थी इसलिए निविदा समिति ने निविदा के उपवाक्य 22 के अनुसार पॉंच प्रतिशत अतिरिक्त निष्पादन गॉरंटी लेते हुए मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन को निविदा में आई न्यूनतम दर पर ठेका देने का निर्णय लिया (15 मार्च 2016)। इस प्रकार, मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन को उसके द्वारा दिए गए दर अनुसूची से 12.36 प्रतिशत कम में कुल ₹ 38.92 करोड़ में कार्यादेश जारी किया गया (मई 2016), जिसकी कार्यपूर्णता तिथि वर्षा ऋतु सहित 12 माह थी।

औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिरगिट्टी एवं निकटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग 200 को दर्शाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2016) कि औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी की निविदा के अंतिमिकरण के समय कम्पनी ने निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर (दर अनुसूची से 12.36 प्रतिशत कम) की तुलना लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के उन्नयन कार्य[13] में प्राप्त दर (दर अनुसूची से 6.24 प्रतिशत कम) से की और प्राप्त दर का लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त दर से कम होने के कारण उचित पाया। इस प्रक्रिया में कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी की निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर की तर्कसंगतता का निर्धारण करते समय उरला औद्योगिक क्षेत्र में समान कार्य की निविदा में प्राप्त कम दर (दर अनुसूची से 24.03 प्रतिशत कम) की अनदेखी की। चूंकि सिरगिट्टी में प्रथम निविदा में दो बोलीदाताओं से प्राप्त न्यूनतम दर कम्पनी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, उरला में अंतिमीकृत किए गए निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर की तुलना में बहुत अधिक थी (लगभग 12 प्रतिशत), इसलिए कम्पनी को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी दर के लिए पुनर्निविदा करना चाहिए था।

इस प्रकार, औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी के कार्य में प्रथम निविदा में दो बोलीदाताओं से प्राप्त बोली के आधार पर दर के औचित्य का उचित रूप से निर्धारण किए बिना तथा औद्योगिक क्षेत्र, उरला में प्राप्त न्यूनतम दर पर विचार किए बिना उच्चतर दर से कार्यादेश जारी किया, जिसके कारण ₹ 5.19 करोड़[14] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने कहा (जुलाई 2016) कि दर की तर्कसंगतता का निर्धारण निकटवर्ती क्षेत्र में समान कार्य के लिए प्राप्त दर से की गई और इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र, उरला में प्राप्त दर से तुलना करना उचित नहीं है। इस प्रकार, कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी में प्राप्त दर की तुलना चंदखुरी–मारो–संबलपुर–उमरिया सड़क के उन्नयन कार्य (लोक निर्माण विभाग की एडीबी परियोजना) से की है और यह पाया गया कि प्राप्त दर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त दर से बहुत कम थी। शासन ने यह भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्र, उरला में प्राप्त दर व्यावहारिक नहीं थी और यही कारण था कि औद्योगिक क्षेत्र, उरला के ठेकेदार से पाँच प्रतिशत अतिरिक्त निष्पादन गॉरंटी ली गई। साथ ही कण्डिका पर चर्चा (जनवरी 2017) के दौरान संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने शासन के उत्तर को दोहराया।

अग्रलिखित को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर मान्य नहीं हैः

- औद्योगिक क्षेत्र, उरला में प्राप्त दर अच्छी तरह से तुलना योग्य थी, क्योंकि दोनों परियोजनाओं (सिरगिट्टी और उरला) का कार्य का स्वरूप एवं मापदण्ड समान होने के साथ–साथ दोनों परियोजनाएँ राष्ट्रीय राजमार्ग – 200 में 100 किलोमीटर से कम की दूरी में स्थित थी। तथापि, औद्योगिक क्षेत्र, सिरगिट्टी में प्राप्त दर की तर्कसंगतता निर्धारित करते समय कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्र, उरला में प्राप्त न्यूनतम दर की अनदेखी की और सिरगिट्टी के लिए प्राप्त न्यूनतम दर को कम करने का प्रयास किये बिना ही इसे स्वीकार कर लिया।
- चंदखुरी–मारो–संबलपुर–उमरिया सड़क (एडीबी परियोजना) के मापदण्ड औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी के कार्य से बिल्कुल भिन्न है और एडीबी की निविदा प्रक्रिया भी जटिल है, इसलिए दोनों कार्य तुलना योग्य नहीं है।
- औद्योगिक क्षेत्र, उरला के कार्य को व्यावहारिक नहीं बताने से शासन कम्पनी की निविदा प्रक्रिया एवं लिये गए निर्णय पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है, क्योंकि उरला के कार्य का अनुमोदन कम्पनी के संचालक मण्डल ने दर की व्यवहार्यता निर्धारित करने के बाद किया। यह उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्र, उरला का कार्य अच्छी

---

13 चंद्रखुरी–मारो–संबलपुर–नवागढ़–छिड़ा–उमरिया रोड़

14 ₹ 44.40 करोड़ सिरगिट्टी के कार्य का मूल्य x (उरला के लिए दर अनुसूचि से 24.03 प्रतिशत कम – सिरगिट्टी के लिए दर अनुसूचि से 12.36 प्रतिशत कम)

तरह से चल रहा है और 31 दिसंबर 2016 की स्थिति में ठेकेदार ने ₹ 11.80 करोड़ का कार्य पूर्ण कर लिया है।

3.5 भू–प्रीमियम का कम निर्धारण

कम्पनी ने भू–प्रीमियम कम दर से वसूल किया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 75.46 लाख की हानि हुई एवं निजी पक्षकार को अनुचित लाभ पहुंचाया।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भी भूमि आबंटित करता है। औद्योगिक क्षेत्र से बाहर की भूमि आबंटन हेतु उद्यमियों से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, कम्पनी स्थानांतरण के माध्यम से शासकीय भूमि का अर्जन छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग से तथा निजी भूमि का अर्जन भू–अर्जन अधिकारी यथा जिला कलेक्टर के माध्यम से करती है। निजी भूमि के आबंटन के लिए कम्पनी भू–अर्जन अधिकारी द्वारा निर्धारित भू–क्षतिपूर्ति राशि (केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल के दिशानिर्देश[15] के अनुसार भूमि का मूल्य + 100 प्रतिशत की दर से सोलेशियम + भूमि के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज) के बराबर राशि और प्रचलित दर से सेवा शुल्क लेती है।

इसी प्रकार, अप्रैल 1982 के शासकीय अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र से बाहर उद्यमियों को शासकीय भूमि आबंटन के लिए भू–प्रीमियम की गणना निजी भूमि के मूल्यांकन की तरह ही किया जाता है। कम्पनी औद्योगिक क्षेत्र के बाहर के सभी आबंटितियों से प्रचलित दर से भू–भाटक भी वसूल करती है।

मेसर्स सालासार पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड (सालासार) ने फ्लाई ऐश इकाई की स्थापना हेतु ग्राम कोनारी, तिल्दा में भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया (25 सितंबर 2014)। कम्पनी ने अपने भू–बैंक[16] से 1.9424 हेक्टेयर भूमि आबंटन हेतु ₹ 29.14 लाख की रियायती[17] भू–प्रीमियम और ₹ 1.46 लाख के भू–भाटक का आशय पत्र जारी किया (22 जनवरी 2015), जैसा कि ***अनुलग्नक – 3.3*** में वर्णित है। कम्पनी ने भू–आबंटन आदेश जारी किया (12 मई 2015) एवं 99 वर्षों के लिए पट्टाभिलेख निष्पादित किया (26 मई 2015)।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2016) कि मेसर्स सालासार को आबंटित भूमि औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित है इसलिए केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल की दिशानिर्देश के प्रचलित दर के अनुसार ₹ 39.07 लाख का भू–प्रीमियम और ₹ 1.95 लाख का भू–भाटक वसूल किया जाना चाहिए था, जैसा कि ***अनुलग्नक – 3.4*** में वर्णित है। केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल के दिशानिर्देश दर से भू–प्रीमियम वसुल नहीं किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 9.93 लाख का भू–प्रीमियम और 99 वर्षों के लिए ₹ 65.53 लाख के भू–भाटक की हानि हुई एवं फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि कम्पनी के संचालक मण्डल ने औद्योगिक क्षेत्र, तिल्दा में भूमि आबंटन के लिए ₹ 30.00 लाख प्रति हेक्टेयर भू–प्रीमियम निर्धारित किया

---

15 छत्तीसगढ़ शासन के केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष विविध प्रकार की भूमि के मूल्य का निर्धारण उसकी प्रकृति और स्थान के आधार पर करता है।

16 भू–बैंक से आशय औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्यमियों द्वारा विनिर्माण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली निजी भूमि एवं शासकीय भूमि से है, ताकि आवश्यक भूमि के आवंटन में विलंब ना हो।

17 औद्योगिक नीति 2009–14 में फ्लाई ऐश उद्योग प्राथमिकता क्षेत्र में आता है और इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन के प्रकरण में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता है।

(26 जून 2009) है और इसी के अनुसार भू–प्रीमियम वसूल किया गया है। शासन ने यह भी कहा कि आबंटित भूमि असिंचित शासकीय भूमि है, जिसके लिए ₹ 17.25 लाख प्रति हेक्टेयर की दर, जो कि मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि के लिए लागू है तथा जिस आधार पर लेखा परीक्षा ने गणना की है, के स्थान पर ₹ 8.20 लाख प्रति हेक्टेयर की दर लागू होगी। कण्डिका पर चर्चा के समय (जनवरी 2017) संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने शासन के उत्तर को दोहराया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संचालक मण्डल ने प्रस्तावित वृहत् औद्योगिक क्षेत्र, तिल्दा जो कि अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, के लिए ₹ 30.00 लाख प्रति हेक्टेयर भू–प्रीमियम निर्धारित किया है। वृहत् औद्योगिक क्षेत्र के विकास के बिना, कम्पनी ने वृहत् औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखे गए भू–बैंक से भूमि आबंटन प्रारंभ किया। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कम्पनी ने इसी क्षेत्र में आर. के. वेयरहाऊसिंग (फरवरी 2015) एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (अगस्त 2015) को केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल दिशानिर्देश दर से भूमि आवंटित की। असिंचित क्षेत्र के लिए लागू दर संबंधी शासन का उत्तर भी मान्य नहीं है क्योंकि आबंटित भूमि भी मुख्य मार्ग में स्थित है, जो कि दो गॉवों नकटी और कोनारी को जोड़ती है। इसलिए केंद्रीय मूल्यांकन मण्डल के दिशानिर्देश के अनुसार मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि के लिए भूमि की दर ₹ 17.25 लाख प्रति हेक्टेयर की दर लागू होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

3.6 दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान

कम्पनी अग्रिम भुगतान से संबंधित एमओयू के प्रावधानों को लागू करने तथा दाण्डिक ब्याज के सम्बन्ध में एमओयू में उपयुक्त उपवाक्य सम्मिलित करने में असफल रही, जिसके परिणामस्वरुप कम्पनी को केएफसीएससीएल से ₹ 6.18 करोड़ के ब्याज की वसूली न कर पाने के कारण हानि हुई।

छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) के माध्यम से कर्नाटक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (केएफसीएससीएल) को चावल विक्रय करने का निर्णय लिया (जून 2013)। तदानुसार, कम्पनी ने केएफसीएससीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये (जुलाई 2013)। समझौता ज्ञापन के उपवाक्य 10 के अनुसार, केएफसीएससीएल को चावल लदान के पूर्व ही प्रत्येक रैक के चावल की लागत तथा गाड़ी भाड़ा प्रभार की राशि कम्पनी को अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता थी। कम्पनी को अगस्त 2013 से दिसम्बर 2014 के मध्य केसफसीएससीएल द्वारा मांगपत्र दिये जाने पर ₹ 2290 प्रति क्विंटल[18] की प्रभावी दर से 2.25 लाख मिट्रीक टन चावल की आपूर्ति करना था, जिसमें गाड़ी भाड़ा सम्मिलित नहीं था, जो कि वास्तविक आधार पर वसूल किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया (सितम्बर 2014) कि केएफसीएससीएल ने जुलाई 2013 में एक बार ₹ 45 करोड़ अग्रिम भुगतान किया था तथा उसके अनुसार ही कम्पनी ने चावल की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी। बाद में केएफसीएससीएल ने अग्रिम भुगतान नहीं किया यद्यपि कम्पनी द्वारा निरंतर आपूर्ति जारी रखी गई। कम्पनी ने जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013 के मध्य ₹ 377.75 करोड़ मूल्य का 155715.66 मिट्रीक टन चावल का विक्रय किया, जिसके विरुद्ध केएफसीएससीएल ने जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013 के मध्य ₹ 332 करोड़ तथा अक्टूबर 2014 में ₹ 45.68 करोड़ का

---

[18] हेण्डलिंग तथा परिवहन व्यय के ₹ 30 प्रति क्विंटल की दर से सम्मिलित करते हुये

भुगतान किया। 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में, ₹ 6.23 लाख अभी भी अप्राप्त था (*अनुलग्नक – 3.5*)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समझौता ज्ञापन में अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी, कम्पनी द्वारा केएफसीएससीएल से बिना अग्रिम भुगतान प्राप्त किये चावल की निरंतर आपूर्ति जारी रखी गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी चावल क्रय के भुगतान करने के लिये प्रत्येक वर्ष विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण/नकद साख लेती है। तदानुसार, कम्पनी को केएफसीएससीएल द्वारा विलम्ब से भुगतान करने की स्थिति में दाण्डिक ब्याज के बारे में समझौता ज्ञापन में उचित उपवाक्य सम्मिलित किया जाना चाहिये था। कम्पनी ऐसा करने में विफल रही तथा इसके परिणामस्वरुप वह केएफसीएससीएल से विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की वसूली नहीं कर सकी और उसे हानि हुई। सितम्बर 2014 में लेखापरीक्षा द्वारा इसके सम्बन्ध में आपत्ति लेने पर, कम्पनी ने केएफसीएससीएल द्वारा विलम्ब से भुगतान करने के कारण 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से ₹ 6.17 करोड़ ब्याज की मांग की (फरवरी 2015)। यद्यपि, केएफसीएससीएल ने अभी तक राशि का भुगतान नहीं किया है (दिसम्बर 2016)।

इस प्रकार, कम्पनी के वित्त विभाग के प्रभारी द्वारा समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चावल की आपूर्ति के पूर्व अग्रिम भुगतान की प्राप्ति को सुनिश्चित करने एवं केएफसीएससीएल द्वारा विलम्ब से भुगतान की स्थिति में ब्याज के भुगतान से सम्बन्धित उपयुक्त उपवाक्य सम्मिलित करने में असफल रहने के परिणामस्वरुप कम्पनी, ₹ 6.18 करोड़ **(अनुलग्नक – 3.5)** के ब्याज की वसूली नहीं कर पाई और कम्पनी को हानि हुई।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि ₹ 6.23 लाख की अप्राप्त राशि के भुगतान के साथ में ₹ 6.17 करोड़ की ब्याज की राशि को प्राप्त करने हेतु भी पत्राचार किया जा रहा है। शासन ने यह भी कहा कि यदि केएफसीएससीएल ने अदत्त राशि का भुगतान नहीं किया तो समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा (नवम्बर 2016) के दौरान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आश्वस्त किया कि भविष्य में समझौता ज्ञापन/अनुबंधो में दाण्डिक ब्याज से सम्बन्धित उपयुक्त उपवाक्य सम्मिलित किया जायेगा। सचिव ने यह भी सूचित किया कि समझौता ज्ञापन के अंतिमीकरण तथा केएफसीएससीएल को चावल की आपूर्ति के समय, वहाँ पर राज्य वित्त सेवा से कोई महाप्रबंधक (वित्त) नियुक्त नहीं था।

तथ्य यह रहा कि समझौता ज्ञापन में उपयुक्त उपवाक्य नहीं होने के कारण, कम्पनी केएफसीएसीएल से ₹ 6.18 करोड़ ब्याज की वसूली हेतु प्रभावी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकती।

3.7 ब्याज का अधिक भुगतान

उचित आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण कम्पनी मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को किये गये ₹ 2.09 करोड़ के अधिक ब्याज के भुगतान की पहचान तथा मांग करने में असफल रही।

छत्तीसगढ़ राज्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किये जाने वाले गेहूँ को भारत सरकार द्वारा प्राप्त आबंटन के आधार पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से प्राप्त करता है। चूँकि 2014–15 के लिये भारत सरकार से गेहूँ के लिये आबंटन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एमपीसीएससीएल) से गेहूँ खरीदने का निर्णय लिया (मार्च 2014)। तदानुसार, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) तथा मध्यप्रदेश नागरिक

आपूर्ति निगम लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये (जून 2014)। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एमपीसीएससीएल को भारत सरकार तथा एफसीआई द्वारा निर्धारित दर पर कम्पनी को 2 लाख मिट्रीक टन गेहूँ की आपूर्ति करनी थी। यद्यपि रेलभाड़े का भुगतान कम्पनी द्वारा वास्तविक आधार पर किया जाना था। कम्पनी द्वारा एमपीसीएससीएल को राशि का भुगतान अग्रिम में किया जाना था। चूँकि एमपीसीएससीएल अप्रैल/मई 2014 तक गेहूँ की खरीदी पूर्ण कर चुकी थी । समझौता ज्ञापन (उपवाक्य 5) में यह प्रावधान था कि कम्पनी 31 मई 2014 तक 2 लाख मिट्रीक टन गेहूँ की लागत पर एक माह के ब्याज का भुगतान उस औसत दर पर एसपीसीएससीएल को करेगी जिस पर एमपीसीएससीएल विभिन्न बैंको से वित्त प्राप्त करता है। 1 जून 2014 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक कम्पनी द्वारा ब्याज देय था।

कम्पनी ने जून 2014 से दिसम्बर 2014 के दौरान एमपीसीएससीएल को ₹ 19.17 करोड़ के रेलभाड़े सहित ₹ 405 करोड़ का भुगतान किस्तों में किया जिसके विरुद्ध एमपीसीएससीएल ने जुलाई 2014 से मार्च 2015 के दौरान 199734.575 मिट्रीक टन गेहूँ की आपूर्ति की। गेहूँ की आपूर्ति पूर्ण होने के बाद, एमपीसीएससीएल ने कम्पनी को गेहूँ की आपूर्ति का वास्तविक लागत पत्रक प्रस्तुत किया (19 मई 2015)।

एमपीसीएससीएल द्वारा प्रस्तुत किये गये लागत पत्रक की संवीक्षा पर लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2016) कि एमपीसीएससीएल ने समझौता ज्ञापन के उपवाक्य 5 के अनुसार एक माह के ब्याज के स्थान पर त्रुटिवश दो माह (अप्रैल तथा मई 2014) का ब्याज भारित किया था। बाद में, एमपीसीएससीएल द्वारा बाद के महीनों के ब्याज की गणना करते समय भुगतान की तिथि गलत ली गई थी। कम्पनी ने एमपीसीएससीएल को 13 जून 2014 को ₹ 150 करोड़, 24 जुलाई 2014 को ₹ 30 करोड़ तथा 8 अक्टूबर 2014 को ₹ 40 करोड़ का भुगतान किया, किन्तु ब्याज की गणना के लिये 16 जून 2014, 25 जुलाई 2014 तथा 14 अक्टूबर 2014 को भुगतान की तिथि माना। एक माह का अतिरिक्त ब्याज भारित करने तथा ब्याज की गणना हेतु भुगतान प्राप्ति की गलत तिथि लेने के कारण, एमपीसीएससीएल ने ₹ 3.97 करोड़ के अधिक ब्याज की गणना की जिसे कम्पनी ने बिना सत्यापन किये ही स्वीकार कर लिया। परिणामतः एमपीसीएससीएल को ₹ 3.97 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लेने पर (फरवरी 2016) कम्पनी ने एमपीसीएससीएल से ₹ 3.97 करोड़ की मांग की (मार्च 2016)।

शासन ने कहा (सितम्बर 2016) कि एमपीसीएससीएल द्वारा खरीदे गये गेहूँ के लागत पत्रक में एमपीसीएससीएल ने समझौता ज्ञापन के अनुसार एक माह के ब्याज के विरुद्ध दो माह के ब्याज और उसके साथ–साथ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 15 दिन के अतिरिक्त ब्याज की वसूली की थी। तदानुसार, एमपीसीएससीएल ने 15 दिन के अधिक भारित किये ब्याज तथा गलत गणना के कारण ₹ 2.09 करोड़ के अधिक ब्याज को वापस कर दिया है (17 मई 2016)। बाद में, लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा के दौरान (नवम्बर 2016), सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने भी सरकार के उत्तर को दोहराया।

तथ्य यह रहा कि कम्पनी लागत पत्रक (मई 2015) से यह पता लगाने में असफल रही कि एमपीसीएससीएल ने अधिक ब्याज भारित किया था तथा उसने उसकी मांग लगभग एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद मार्च 2016 में, वह भी लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने (फरवरी 2016) के बाद की, जो कि दर्शाता है कि भुगतान के लिये देयक पास करते समय उचित आंतरिक नियंत्रण/संवीक्षा की कमी थी। कम्पनी को देयकों की संवीक्षा और भुगतान से सम्बन्धित अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिये।

3.8 निम्न ब्याज दर पर नकद साख न लेने के कारण अतिरिक्त ब्याज का भार

कम्पनी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रस्तावित निम्न ब्याज दर के प्रस्ताव को समय पर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने में असफल रही जिसके परिणामस्वरुप नकद साख सीमा पर ₹ 98.27 लाख ब्याज का अतिरिक्त व्यय हुआ।

छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा गेहूँ की खरीदी करने हेतु वित्त की व्यवस्था के प्रस्ताव का अंतिमीकरण करने के लिये एक राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) गठित की (अप्रैल 2010)। एसएलसी की अनुशंसा के अनुसार (अक्टूबर 2014) कम्पनी ने खरीफ विपणन वर्ष 2014–15 के लिये कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिये विभिन्न बैंको से ₹ 2000 करोड़ की नकद साख सीमा (सी सी लिमिट) प्राप्त करने हेतु खुली निविदा के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये (18 नवम्बर 2014)।

एसएलसी द्वारा सात बैंकों के प्रस्ताव 27 नवम्बर 2014 को खोले गये तथा बाद में समझौता वार्ता (3 दिसम्बर 2014) के आधार पर एसएलसी द्वारा पाँच[19] बैंकों के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया (12 दिसम्बर 2014)। बाद में, इण्डियन बैंक ने अपनी दर में और कमी की तथा इस आशय का एक प्रस्ताव कम्पनी को 16 फरवरी 2015 को दिया जो कि एसएलसी के समक्ष 4 मार्च 2015 को प्रस्तुत किया गया। इण्डियन बैंक द्वारा प्रस्तावित निम्न ब्याज दर को ध्यान में रखकर, एसएलसी ने 4 मार्च 2015 को पाँच बैंकों की संशोधित नकद साख सीमा अनुमोदित की। एसएलसी द्वारा मूल अनुमोदन के साथ ही साथ संशोधित अनुमोदन का विवरण **तालिका – 3.2** में वर्णित है।

तालिका – 3.2: नकद साख सीमा तथा ब्याज दर को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बैंको के नाम	एसएलसी द्वारा मूल अनुमोदन (12 दिसम्बर 2014)		एसएलसी द्वारा संशोधित अनुमोदन (4 मार्च 2015)	
		राशि	ब्याज की दर	राशि	ब्याज की दर
1	देना बैंक	500	10.49	400	10.49
2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	500	10.49	500	10.49
3	केनरा बैंक	200	10.49	100	10.49
4	इण्डियन बैंक	500	10.49	500	10.29
5	इलाहाबाद बैंक	500	10.35	500	10.35
6	आईसीआईसीआई बैंक	200	10.50	अनुमोदित नहीं	
7	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	200	10.75		

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2016) कि बाद में आईसीआईसीआई बैंक ने भी ₹ 200 करोड़ की नकद साख सीमा के लिये दी गई 10.50 प्रतिशत की ब्याज दर को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया तथा जिसकी सूचना 03 मार्च 2015 को कम्पनी को दी। यद्यपि, जब कम्पनी इण्डियन बैंक के दर कटौती के प्रस्ताव को एसएलसी के समक्ष प्रस्तुत कर रही थी (4 मार्च 2015), उस समय कम्पनी आईसीआईसीआई के दर कटौती के प्रस्ताव को एसएलसी के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रही। जिसके परिणामस्वरुप कम्पनी ने ₹ 200 करोड़ की नकद साख सीमा पर अन्य बैको के द्वारा प्रस्तावित 10.49 प्रतिशत की दर के विरुद्ध आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम 10 प्रतिशत की दर

19 देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, इण्डियन बैंक तथा इलाहाबाद बैंक।

प्राप्त करने के अवसर को खो दिया और कम्पनी को ₹ 98.27 लाख[20] की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने कहा (मई 2016) कि बाद में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निम्न ब्याज दर के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन किया गया था (20 मार्च 2015) किंतु उक्त मुद्दे पर कोई निर्णय न हो पाने के कारण, वह आईसीआईसीआई बैंक से नकद साख सीमा प्राप्त नहीं कर सकी। शासन ने बताया (जुलाई 2016) कि आईसीआईसीआई बैंक से प्रस्ताव 7 मार्च 2015 को प्राप्त हुआ, जिसकी पुष्टि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा भी की गई तथा इसी कारण उसे 4 मार्च 2015 को एसएलसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैक ने कम्पनी को चावल खरीदने की आवश्यकता के स्थान पर अलग उद्धेश्य (गोंदामों की मरम्मत, कर्मचारियों को भुगतान इत्यादि) के लिये नकद साख सीमा का प्रस्ताव दिया था।

लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा के दौरान (नवम्बर 2016) सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण ने कहा (नवम्बर 2016) कि 12 दिसम्बर 2014 को आयोजित बैठक में एसएलसी द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को चयनित नहीं किया गया था, इसी कारण, आईसीआईसीआई बैंक के दर में कमी के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

शासन का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योकि कम्पनी को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एसएलसी की बैठक के पहले ही 03 मार्च 2015 को प्राप्त हो चुका था जैसा कि उपलेखाधिकारी तथा वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा कम्पनी के अध्यक्ष को प्रस्तुत 3 नवम्बर 2015 के नोट से स्पष्ट होता है। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा पत्र की सुपुर्दगी 7 मार्च 2015 को दिए जाने की पुष्टि के सम्बन्ध में यह आश्चर्यजनक है कि प्राप्तकर्ता (इस प्रकरण में कम्पनी) द्वारा पत्र की प्राप्ति की पावती देने की मानक प्रक्रिया का पालन न करने के साथ ही कम्पनी ने पत्र को पंजीबद्ध नही किया, आईसीआईसीआई ने स्वयं (इस प्रकरण में पत्र भेजने वाला) पुष्टि की कि नागरिक आपूर्ति निगम को 7 मार्च 2015 को पत्र भेजा गया जो सही नहीं है।

शासन का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक ने अलग उद्वेश्य के लिये नकद साख सीमा का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि एसएलसी ने आईसीआईसीआई बैंक के अलग उद्धेश्य की नकद साख सीमा के आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया था। एसएलसी द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के चयन न होने के सम्बन्ध में (12 दिसम्बर 2014) शासन का उत्तर पश्चविचारित प्रतीत होता है, क्योंकि एसएलसी ने निविदा में भाग लेने वाले बैंको द्वारा ब्याज दर में और कमी किये जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये प्रबन्ध संचालक को अधिकृत किया था।

इस प्रकार, आईसीआईसीआई बैंक के पुनरीक्षित प्रस्ताव को एसएलसी के समक्ष प्रस्तुत करने तथा बाद में मामले की छत्तीसगढ़ शासन से अनुसरण करने में प्रबन्ध संचालक की विफलता के परिणामस्वरुप कम्पनी को ₹ 98.27 लाख की हानि हुई। इस मामले में संचालक मण्डल में सरकार के नामांकित सदस्य (सचिव, वित्त तथा सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण) भी छत्तीसगढ़ सरकार तथा कम्पनी के मध्य समन्वय स्थापित करने में निष्प्रभावी रहे।

---

20 ₹ 200 करोड़ × 0.49 प्रतिशत (अन्य बैंको द्वारा 10.49 प्रस्तावित दर की दर तथा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 10 प्रतिशत की प्रस्तावित दर का अंतर) × 366 दिन (1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के दौरान कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई सीसी लिमिट

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड

3.9 जोखिम एवं लागत राशि की वसूली न करने से हानि

कम्पनी ने ठेकेदार से ₹ 97.17 लाख की जोखिम एवं लागत राशि की वसूली नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को हानि हुई साथ ही ठेकेदार को अनुचित लाभ भी पहुंचाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने श्रमिक ठेके के आधार पर 132 के व्ही बिलासपुर–भिलाई लाईन से 132 के व्ही उपकेन्द्र पथरिया (प्रथम कार्य) तक 10 किमी लीलो[21] के निर्माण हेतु मेसर्स निर्मला कन्सट्रॅक्शन, रायगढ़ (ठेकेदार) को ₹ 57.46 लाख के मूल्य का कार्यादेश (अक्टूबर 2011) जारी जारी किया। बाद में, पीजीसीआईएल उपकेन्द्र रायगढ़ में 220 के व्ही कोरबा–बूढ़ीपदर 10 किमी लीलो लाइन के निर्माण कार्य (द्वितीय कार्य) भी उसी ठेकेदार को ₹ 1.02 करोड़ की लागत का ठेका श्रमिक ठेके के आधार पर सौंपा गया (अप्रैल 2012)। प्रथम कार्य अप्रैल 2012 तथा द्वितीय कार्य जनवरी 2013 तक पूरा किया जाना था। दोनो कार्यो की निविदा शर्तों के उपवाक्य 28 में यह प्रावधान है कि यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में असफल रहता है तो कम्पनी के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह ऐसे तरीकों एवं ऐसी शर्तों के साथ जो वह उचित समझें, दूसरे ठेकेदार को कार्य सौंप सकता है तथा कार्य पूर्ण करने हेतु वहन की गई अतिरिक्त लागत के लिये ठेकेदार कम्पनी के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा से यह खुलासा हुआ (जनवरी 2016) कि ठेकेदार ने अधिसूचित कार्यपूर्णता अवधि के पूर्ण होने के बाद भी प्रथम कार्य निष्पादित नहीं किया। फलस्वरुप, कम्पनी ने प्रथम कार्य को ₹ 2.87 लाख की सुरक्षा निधि राजसात करते हुये जनवरी 2013 में निरस्त कर दिया। बाद में, द्वितीय कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार ने सुरक्षा निधि प्रस्तुत न करने के साथ ही ठेके निष्पादित करने की औपचारिकतायें पूरी नहीं की तथा ₹ 0.70 लाख की अमानत राशि राजसात करने के बाद दिसम्बर 2012 में कार्य निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् कम्पनी ने इन निरस्त किये गये कार्यों को श्रमिक ठेके के आधार पर नई फर्मों को लगाकर निष्पादित कराया। प्रथम कार्य ₹ 85.79 लाख की कुल लागत के साथ जुलाई 2014 में तथा द्वितीय कार्य ₹ 1.74 करोड़ की कुल लागत के साथ अगस्त 2015 में पूर्ण हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों कार्यों को निरस्त करते समय कम्पनी के मुख्य अभियंता (अति उच्च दाब : निर्माण एवं संधारण) ने ठेकेदार को जोखिम एवं लागत राशि के भुगतान के दायित्व को सूचित कर दिया था तथा इस राशि को पृथक रूप से सूचित किया जाना था। यद्यपि, कम्पनी ने ठेकेदार को जोखिम एवं लागत राशि के सम्बन्ध में न तो सूचित किया और न ही उसे वसूला। इस प्रकार, ठेकेदार से ₹ 97.17 लाख (प्रथम कार्य 25.46 लाख[22] तथा द्वितीय कार्य ₹ 71.71 लाख[23]) जोखिम एवं लागत की राशि वसूले करने में असफल रहने के कारण कम्पनी को हानि होने के साथ ही ठेकेदार को ₹ 97.17 लाख का अनुचित लाभ पहुँचा।

---

21 जब दो विद्यमान उपकेन्द्रों के मध्य एक नया ईएचव्ही उपकेन्द्र स्थापित किया जाता है; नये स्थापित ईएचव्ही उपकेन्द्र के लिये बिछाई गई पारेषण लाईन को लीलो कहा जाता है अर्थात् –लाईन इन लाईन आऊट।

22 प्रथम कार्य पूर्ण होने की लागत ₹ 58.79 लाख–मुख्य आदेश की लागत ₹ 57.46 लाख–जब्त की गई सुरक्षा निधि की राशि ₹ 2.87 लाख

23 द्वितीय कार्य पूर्ण होने की लागत ₹ 174.19 लाख–मुख्य आदेश की लागत ₹ 101.78 लाख–जब्त की गई सुरक्षा निधि की राशि ₹ 0.70 लाख

शासन ने कहा (अक्टूबर 2016) कि कम्पनी ने अमानत राशि तथा प्रारंभिक सुरक्षा निधि राजसात कर ली थी तथा ठेकेदार को भविष्य में 2 वर्षों की अवधि के लिये व्यवसाय से वंचित कर दिया था। शासन ने यह भी कहा कि ठेकेदार को निविदा की शर्तों एवं दशाओं के अंतर्गत जोखिम एवं लागत राशि के भुगतान के लिये दो पृथक विधिक नोटिस जारी किये गये थे (अगस्त 2016), यद्यपि, नोटिसों पर ठेकेदार द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेखापरीक्षा कण्डिका पर चर्चा के दौरान (जनवरी 2017), विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग ने सरकार के उत्तर को दोहराया।

उत्तर से यह सुनिश्चित होता है कि प्रबन्धन, कम्पनी के वित्तीय हितों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लेने के बाद ही कम्पनी ने जोखिम एवं लागत की राशि की वसूली के लिये ठेकेदार को विधिक नोटिस भेजा।

(बिजय कुमार मोहंती)

रायपुर
दिनांक 26 फरवरी 2017
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली
दिनांक 1 मार्च 2017
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक